कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3703/11–सी–FP/UP/Road/147236/2021, लखनऊ, दिनांकः मई 24,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
गोण्डा।

विषयः– बहराइच–गोण्डा मार्ग एस0एच0–30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35693 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–2400/11–सी, दिनांक 20.01.2023 एवं आपका पत्रांक–3524/33–1, दिनांक 17.05.2023

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गई आपत्तियों का निरीाकरण कर उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त पुनः ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

बहराइच वन प्रभागः–

1. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।
2. पेनड्राइव में अपलोड KML एवं पी0डी0एफ0 फाईल ओपन नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं सम्बन्धित CA एवं प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

गोण्डा वन प्रभागः–

1. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।
2. अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

श्रावस्ती वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में संलग्न किया गया प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र में पुनः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
2. लागत लाभ विश्लेषण सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण–पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण है। अतः सही दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कर आनलाईन भाग–1 में अपलोड करें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
4. प्रस्ताव में संलग्न किया गया मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्र्ड क्रास सेक्शन पर प्रभागीय वनाधिकारी के पुनः हस्ताक्षर नहीं है।
5. प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु गजट नोटिफिकेशन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः सत्यापित नहीं है।
6. प्रस्ताव में 10 किमी0 परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्धी प्रमाण–पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु उस पर पुनः प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
8. रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
9. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–7 एवं हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–9 में विवरण पुनःभिन्न–भिन्न अंकित है।
10. अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03—03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03—03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 3703 /11—सी—FP/UP/Road/147236/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती।
2. अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।